

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम नई राज्यास तहसील फुलियाकलां

मूल वाद मे संशोधन डिक्री

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S.

प्रकरण संख्या : 562/2016 राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा –114 एवं आदेश 47 (1) जा.दी.

अनवान

1. महावीर मुतबन्ना घीसा बलाई उग्र वयरक निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज0  
— (प्रार्थी)

बनाम

1. श्रीकिशन पिता रेवता (रेगता) बलाई उग्र वयरक निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज0
2. मु.संतोक बैवा मदन बलाई उग्र वयरक निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज0
3. रामस्वरूप पिता मदन बलाई उग्र वयरक निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज0
4. किसन पिता देवी बलाई उग्र वयरक निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज0
5. धन्ना पिता देवी बलाई उग्र वयरक निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज0
6. पप्पु पिता भागीरथ बलाई उग्र वयरक निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज0
7. रामधन पिता भागीरथ बलाई उग्र वयरक निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज0
8. सांवरा पिता भागीरथ बलाई उग्र वयरक निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज0
9. संतोक बैरवा भागीरथ बलाई उग्र वयरक निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज0
10. मु.प्रेम बैवा घीसा बलाई उग्र वयरक निवासी नई राज्यास तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज- फौत डिलीट
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(अप्रार्थीगण)

उपरिथत –


प्रार्थी अधिवक्ता— श्री गोविन्द सिंह हाडा ---उपरिथत  
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

दिनांक—24.11.2021

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में इस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 15.09.2016 में भूलवश हुई टंकण भूल/मानवीय गलती को दुरुस्त करने के लिए प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से दिनांक 16.11.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा दफा 114 एवं आदेश 47 (1) जा.दी. वाबत निर्णय पुर्नविलोकन रवीकार कर पारित डिक्री दिनांक 16.11.2016 में दुरुस्तिकरण कर पुनः संशोधित डिक्री इस प्रकार दिया जाता है कि—

ग्राम कनेछनखुर्द प.ह.क्षे. कनेछनखुर्द तहसील फुलियाकलां स्थित आराजी संख्या 191, 196 किता 02 रकवा 1.26 हैक्टर एवं ग्राम नई राज्यास प.ह.क्षे. देवरिया तहसील फुलियाकलां स्थित आराजी संख्या 704, 710, 711, 712, 713 किता 5 रकवा 1.26 हैक्टर भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 10 मृतक मु.प्रेम बैवा स्व. घीसा बलाई का नाम विलोपित कर, के स्थान पर स्व. घीसा बलाई के 1/2 हिस्से तक में वहैसियत गोदपुत्र वादी का हक स्वामित्व निर्धारित कर, सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरुस्तिकरण किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। इस डिक्री को पूर्ववृत्ति पारित डिक्री दिनांक 16.11.2016 का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है।

तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिक्केन अपना-अपना वहन करें। आज यह डिक्री दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम नई राज्यास में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

  
(राजकेश मीना)  
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां